HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2141/2026

Apurva Godara Alias Mahendra S/o Bhanwarlal Godara, Aged About 29 Years, R/o Vilalge Dhehri, Tamau Tehsil Jayal P.s. Jayal District Nagaur. (At Present Lodged In Dist. Jail Nagaur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. G.R. Punia Sr. Adv. Mr. Sanjay Rewar
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

24/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना जायल, जिला नागौर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2022,** अपराध अन्तर्गत धारा **143, 323, 427, 307, 302, 120बी भारतीय दंड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। इस मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त अपूर्व गोदारा उर्फ महेन्द्र का नाम अंकित नहीं किया गया है, मामले में राजेश रलिया की हत्या का आरोप प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण पर लगाया गया है तथा सीताराम इस मामले का घायल चश्मदीद गवाह है, जिसका पर्चा बयान पुलिस द्वारा दिनांक 26.10.2022 को लेखबद्ध किया गया है। उक्त पर्चा बयान में भी मजरूब सीताराम ने केवल लालाराम व सुरेश का नाम लिया है तथा छह–सात अन्य लोगों द्वारा मारपीट करना अंकित किया गया है। पर्चा बयान में भी प्रार्थी/अभियुक्त अपूर्व गोदारा उर्फ महेन्द्र का नाम नहीं लिया गया है। उनका

यह भी तर्क है कि मामले में पूर्व में सहअभियुक्तगण राधाकिशन, सुनील उर्फ सुनील ईनाणियां, हंसराज, सुरेश जाखड़ उर्फ टोनू जाखड़, लालाराम, सुरेश भाट, शैतानराम, जुगलकिशोर गिल के खिलाफ आरोप–पत्र पूर्व में पेश कर दिया गया था तथा प्रार्थी/अभियुक्त अपूर्व गोदारा उर्फ महेन्द्र तथा दो अन्य सहअभियुक्तगण विजेन्द्र उर्फ बज्जू व सहीराम के खिलाफ अनुसंधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अधीन रखा गया था। कालांतर में उक्त तीनों अभियुक्तगण अपूर्व गोदारा उर्फ महेन्द्र, विजेन्द्र उर्फ बज्जू व सहीराम को बाद में गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। उनका यह तर्क है कि इस मामले में सहअभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जा चुके हैं। सहअभियुक्त विजेन्द्र व सहीराम जिनका मामला प्रार्थी/अभियुक्त के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अधीन लंबित रखा गया था उनकी जमानत याचिका भी समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपूर्व गोदारा उर्फ महेन्द्र के खिलाफ मृतक द्वारा मजरूब के साथ मारपीट किए जाने का कोई आरोप नहीं है न ही प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी हुई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला जमानत पर छोड़े गए अन्य अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 14.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि मामले में अन्य सभी सहअभियुक्त राधाकिशन की जमानत याचिका संख्या 126/2025, दिनांक 09.01.2025, सुनील उर्फ सुनील ईनाणियां की जमानत याचिका संख्या 715/2025, दिनांक 19.02.2025, हंसराज की जमानत याचिका संख्या 1694/2025, दिनांक 03.03.2025, सुरेश जाखड़ उर्फ टोनु

जाखड़ की जमानत याचिका संख्या 8916/2025, दिनांक 12.08.2025, लालाराम की जमानत याचिका संख्या 3073/2025, दिनांक 17.09.2025, सुरेश भट की जमानत याचिका संख्या 11670/2025, दिनांक 10.10.2025, शैतानराम की जमानत याचिका संख्या 10330/2024, दिनांक 03.12.2024 तथा जुगलकिशोर गिल की जमानत याचिका संख्या 12893/2024, दिनांक 03.12.2024 की जमानत याचिकाएं पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला जमानत पर छोड़े गए अन्य सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अपूर्व गोदारा उर्फ महेन्द्र पुत्र भंवरलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2022, पुलिस थाना जायल, जिला नागौर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

37-Nitin Jagtiani/-